कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया

पत्रांक 68 /आपदा (बाढ़ राहत सामग्री–2021) दिनांक: मई 15 2021

ई–टेण्डर आमंत्रण हेतु सूचना

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन,राजस्व अनुभाग–11, लखनऊ के पत्र संख्या 340/एक–11–2021–06(जी)/2019 दिनांक 12 मई 2021 एवं प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0, शासन, राजस्व अनुभाग–11, लखनऊ के शासनादेश संख्या–950/1–11–2017–14(जी)/2017, दिनांक 21.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष–2021 की सम्भावित बाढ़–2021 के दृष्टिगत बाढ़ से प्रभावित परिवारों में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दिये जाने हेतु वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत फर्मो से सामग्रियों की आपूर्ति किये जाने के संबंध में ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। राहत सामग्रियों की पैकिंग निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी।

क्रमांक	एक पैकेट में सम्मिलित सामग्री	मात्रा	दर	समस्त सामग्री का एक पैकेट तैयार करने के पश्चात प्रति पैकेट का मूल्य पैकिंग सहित
1	आटा	10 कि0ग्रा0		
2	चावल	10 कि0ग्रा0		
3	आलू	10 कि0ग्रा0		
4	लाई	05 कि0ग्रा0		
5	भूना चना	02 कि0ग्रा0		
6	अरहर दाल	02 कि0ग्रा0		
7	नमक (आयोडिन युक्त)	500 ग्राम		
8	हल्दी(पिसा) (ब्राण्डेड)	250 ग्राम		
9	मिर्च(पिसा) (ब्राण्डेड)	250 ग्राम		
10	धनिया(पिसा) (ब्राण्डेड)	250 ग्राम		
11	मोमबत्ती(10 पीस)	01 पैकेट		
12	माचिस	01 पैकेट		
13	बिस्कुट (ब्राण्डेड)	10 पैकेट		
14	रिफाइन्ड तेल (ब्राण्डेड)	01 लीटर		
15	नहाने के साबुन	02 अदद		

उक्त के अतिरिक्त अन्य राहत निम्न सामग्री का मूल्य निर्धारण ई–टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा जिसका एल–1 एवं एल–2 अलग से निर्धारित किया जायेगा, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर टेण्डर प्रक्रिया के अनावश्यक समय एवं श्रम से बचा जा सके ।

क्रमांक	सामग्री का नाम	अदद	दर
1	त्रिपाल छल्ला युक्त (3.00 मी0 चौड़ा व 5.00 मी0 लम्बा)	01 अदद	

उपरोक्त दरें समस्त करों सहित होगी ।

निविदा के नियम एवं शर्तें

1 निविदादाता/फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त TIN/G.S.T. प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षों के बैलेन्सशीट/आई0टी0आर0 सभी प्रपत्रों की छाया प्रति आनलाईन उपलब्ध करानी होगी।

2– निविदादाता का फूड लाइसेंस, पैन नम्बर, लेबर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति आनलाईन उपलब्ध करानी होगी ।

3– फर्म का खाद्य आपूर्ति क्षेत्र में विगत वर्षों का औसत वार्षिक व्यवसाय न्यूनतम रू0 3.50 करोड़ से कम न हो इस आशय का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

4– अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

5– निविदा की दरों में सामग्री का मूल्य, हैंडलिंग, ग्राम स्तर तक परिवहन तथा समस्त कर सहित सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

6– किसी भी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, बलिया का निर्णय अन्तिम होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

– ई–निविदादाता को आपदा राहत के दृष्टिगत विगत वर्षो में कम से कम रू0 1.00 करोड की राहत सामग्री की आपूर्ति किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8– टेण्डर के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पुल भी देना होगा तथा समस्त सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति करनी होगी। समस्त बाढ राहत सामग्री एक वाटरप्रूफ गत्ते में जिसपर गत्ते के अन्दर एवं बाहर सामग्री का विवरण के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से बाढ राहत सामग्री–2021 एवं विक्री के लिए नही है, अंकित करना अनिवार्य है।

9– टेण्डर मे उल्लिखित समस्त सामग्रियो का पर्याप्त मात्रा, टेण्डरदाता को बाढ अवधि तक प्रत्येक समय अपने स्टाक मे आरक्षित करना होगा, ताकि आकस्मिक आवश्यकता की स्थिति में तात्कालिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आवश्यकता का निर्धारण जिलाधिकारी, बलिया द्वारा किया जायेगा तथा आपूर्ति आदेश मिलने के बाद आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रत्येक दशा में 24 घण्टे के अन्दर मांग के अनुसार राहत सामग्री पैकेट की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। अन्यथा की दशा में किसी भी अन्य फर्म से राहत सामग्री की आपूर्ति की मांग की जा सकती है। यदि इस प्रक्रिया में मूल्य में कोई अन्तर आता है और अधिक भुगतान करना पडता है तो यह राशि निविदादाता की जमानत राशि से काट ली जायेगी ।

10– सभी सामान फुड मार्क FSSAI, AGMARK के साथ होना चाहियें तथा कोई भी सामान Expire date का नहीं होना चाहिये ।

11– सर्वप्रथम ई–निविदा की टेक्निकल बीड खोली जाएगी । टेक्निकल बीड में अर्ह पाये जाने वाले फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी, तथा न्यूनतम वित्तीय निविदादाता की निविदा जिलाधिकारी, बलिया द्वारा स्वीकृत की जाएगी। आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न का एक सेट/सैम्पल वाटरप्रूफ गत्ते में समिति के समक्ष तकनीकी बीड खुलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि समिति द्वारा गुणवत्ता पर विचार किया जा सके। केवल आलू व लाई थैले मे अलग से होगा ।

12– यह निविदा वर्ष–2021 की सम्भावित बाढ में राहत कार्यो हेतु होगी तथा निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी दरें दिनांक 31.03.2022 तक मान्य होगी ।

13– सशर्त निविदा मान्य नही होगी ।

14– निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही में नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य की कटौतिया नियमानुसार की जायेगी ।

15– निविदा प्रक्रिया हेतु निविदादाताओं द्वारा अपने से संबंधित सामान्य जानकारी रू0 100.00 का नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें PAN/TAN NO/TIN/G.S.T. नंबर अंकित होगा । ब्लैकलिस्ट न होने व कोई अपराधिक मुकदमा न चलने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

16– निविदादाता अर्नेस्टमनी के रूप में रू0 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी बलिया के नाम से होगा, ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना होगा तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा ई–निविदा में अपलोड किये गये समस्त्त प्रपत्रो की एक प्रति निविदा खोले जाने के समय समिति के समक्ष उपलब्ध कराना होगा ।

17– निविदादाता को ई–निविदा शुल्क रू0 5,900–00(पांच हजार नौ सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी बलिया के नाम से होगा, ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना होगा तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय मे उपलब्ध करानी होगी

18– आपूर्ति के दौरान मानक विहीन या घटिया सामान या कम तौल पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ भुगतान मे कटौती की जायेगी ।

19– टेण्डर प्रक्रिया या टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त, संशोधित करने अथवा सामग्री में फेर बदल स्थानीय आवश्यकतानुसार करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा ।

20– अंतिम रूप से स्वीकार निविदादाता को धनराशि रूपये पॉच लाख मात्र की निष्पादन प्रतिभूति (preformance Guarantee) जिलाधिकारी, बलिया के पक्ष मे बन्धक कराकर रखनी होगी ।

21– इच्छुक व्यक्ति/फर्म ई–निविदा http:// etender.up.nic.in पर निविदादाता द्वारा अपनी ई–निविदा दिनांक 28.05.2021 के अपरान्ह 1.00 बजे तक अपलोड की जायेगी तथा दिनांक 28.05.2021 को ई–निविदा अपराह्न 3.00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार बलिया मे समिति के समक्ष खोली जायेगी ।

22– उक्त ई–टेण्डर की विस्तृत जानकारी http://etender.up.nic.in पर एवं http://ballia.nic.in पर देखी जा सकती है।

23– निविदादाता को उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य होगीं तथा सभी विवादों का निस्तारण बलिया न्यायालय के अन्तर्गत होगा ।

जिलाधिकारी
बलिया

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संख्या एवं दिनांक:उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ ।

2– अपर जिलाधिकारी(वि/रा) बलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद बलिया की वेबसाइट पर अपलोड करावें ।

5– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बलिया को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें ।

6– ई०डी०एम० बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7– नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, बलिया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु ।

15.5.24

जिलाधिकारी

बलिया

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

वर्ष–2021 में जनपद बलिया में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत् प्रभावित परिवारो में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ई–निविदा का वित्तीय निविदा प्रपत्र ।

1– निविदाकर्त्ता कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम-------------------------------

2– पूर्ण पता (दूरभाष/मो0नं0 सहित)-------------------------------

3– बाढ़ राहत के दौरान एक पैकेट में आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का विवरण एवं मात्रा–

क्रमांक	एक पैकेट मे सम्मिलित सामग्री	मात्रा	दर	समस्त सामग्री का एक पैकेट तैयार करने के पश्चात प्रति पैकेट का मूल्य पैकिंग सहित
1–	आटा	10 कि0ग्रा0		
2–	चावल	10 कि0ग्रा0		
3–	आलू	10 कि0ग्रा0		
4–	लाई	05 कि0ग्रा0		
5–	भूना चना	02 कि0ग्रा0		
6–	अरहर दाल	02 कि0ग्रा0		
7–	नमक (आयोडिन युक्त)	500 ग्राम		
8–	हल्दी(पिसा)	250 ग्राम		
9–	मिर्च(पिसा)	250 ग्राम		
10–	धनिया(पिसा)	250 ग्राम		
11–	मोमबत्ती(10 पीस)	01 पैकेट		
12–	माचिस	01 पैकेट		
13–	बिस्कुट	10 पैकेट		
14–	रिफाइन्ड तेल	01 लीटर		
15	नहाने का साबुन	02 अदद		

उक्त के अतिरिक्त अन्य राहत निम्न सामग्री का मूल्य निर्धारण ई–टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा जिसका एल–1 एवं एल–2 अलग से निर्धारित किया जायेगा, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर टेण्डर प्रक्रिया के अनावश्यक समय एवं श्रम से बचा जा सके ।

क्रमांक	सामग्री का नाम	अदद	दर
1	त्रिपाल छल्ला युक्त (3.00 मी0 चौड़ा व 5.00 मी0 लम्बा)	01 अदद	

उपरोक्त दरें समस्त करों सहित होगी ।

निविदा के नियम एवं शर्तें

2 निविदादाता/फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त TIN/G.S.T. प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षों के बैलेन्सशीट/आई0टी0आर0 सभी प्रपत्रों की छाया प्रति आनलाईन उपलब्ध करानी होगी।

2– निविदादाता का फूड लाइसेंस, पैन नम्बर, टेण्डर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति आनलाईन उपलब्ध करानी होगी ।

3– फर्म का खाद्य आपूर्ति क्षेत्र में विगत वर्षों का औसत वार्षिक व्यवसाय न्यूनतम रू0 3.50 करोड़ से कम न हो इस आशय का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

4– अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

5– निविदा की दरों में सामग्री का मूल्य, हैंडलिंग, ग्राम स्तर तक परिवहन तथा समस्त कर सहित सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

6– किसी भी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, बलिया का निर्णय अन्तिम होगा।

7– ई–निविदादाता को आपदा राहत के दृष्टिगत विगत वर्षों में कम से कम रू0 1.00 करोड़ की राहत सामग्री की आपूर्ति किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8– टेण्डर के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पुल भी देना होगा तथा समस्त सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति करनी होगी। समस्त बाढ़ राहत सामग्री एक वाटरप्रूफ गत्ते में जिसपर गत्ते अन्दर एवं

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राहत सामग्री का विवरण के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से बाढ़ राहत सामग्री–2021 एवं बिक्री के लिए नही है, अंकित करना अनिवार्य है।

9– टेण्डर में उल्लिखित समस्त सामग्रियों का पर्याप्त मात्रा, टेण्डरदाता को बाढ़ अवधि तक प्रत्येक समय अपने स्टाक में आरक्षित करना होगा, ताकि आकस्मिक आवश्यकता की स्थिति में तात्कालिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आवश्यकता का निर्धारण जिलाधिकारी, बलिया द्वारा किया जायेगा तथा आपूर्ति आदेश मिलने के बाद आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रत्येक दशा में 24 घण्टे के अन्दर मांग के अनुसार राहत सामग्री पैकेट की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। अन्यथा की दशा में किसी भी अन्य फर्म से राहत सामग्री की आपूर्ति की मांग की जा सकती है। यदि इस प्रक्रिया में मूल्य में कोई अन्तर आता है और अधिक भुगतान करना पड़ता है तो वह राशि निविदादाता की जमानत राशि से काट ली जायेगी।

10– सभी सामान फूड मार्क FSSAI, AGMARK के साथ होना चाहिये तथा कोई भी सामान Expire date का नहीं होना चाहिये।

11– सर्वप्रथम ई–निविदा की टेक्निकल बीड खोली जाएगी। टेक्निकल बीड में अर्ह पाये जाने वाले फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी, तथा न्यूनतम वित्तीय निविदादाता की निविदा जिलाधिकारी, बलिया द्वारा स्वीकृत की जाएगी। आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न का एक सेट/सैम्पल वाटरप्रूफ बत्तो में समिति के समक्ष तकनीकी बीड खुलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि समिति द्वारा गुणवत्ता पर विचार किया जा सके। केवल आलू व साई थैले में अलग से होगा।

12– यह निविदा वर्ष–2021 की सम्भावित बाढ़ में राहत कार्यो हेतु होगी तथा निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी दरें दिनांक 31.03.2022 तक मान्य होगी।

13– सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

14– निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही में नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य की कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।

15– निविदा प्रक्रिया हेतु निविदाताओं द्वारा अपने से संबंधित सामान्य जानकारी रू0 100.00 का नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें PAN/TAN NO/TIN/G.S.T. नंबर अंकित होगा। ब्लैकलिस्ट न होने व कोई अपराधिक मुकदमा न चलने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16– निविदादाता अर्नेस्टमनी के रूप मे रू0 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी बलिया के नाम से होगा, ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना होगा तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा ई–निविदा में अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की एक प्रति निविदा खोले जाने के समय समिति के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।

17– निविदादाता को ई–निविदा शुल्क रू0 5,900–00(पांच हजार नौ सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी बलिया के नाम से होगा, ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना होगा तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी

18– आपूर्ति के दौरान मानक विहीन या घटिया सामान या कम तौल पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ भुगतान में कटौती की जायेगी।

19– टेण्डर प्रक्रिया या टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त, संशोधित करने अथवा सामग्री में फेर बदल स्थानीय आवश्यकतानुसार करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।

20– अंतिम रूप से स्वीकार निविदादाता को धनराशि रूपये पाँच लाख मात्र की निष्पादन प्रतिभूति (preformance Guarantee) जिलाधिकारी, बलिया के पक्ष में बन्धक कराकर रखनी होगी।

21– इच्छुक व्यक्ति/फर्म ई–निविदा http:// etender.up.nic.in पर निविदादाता द्वारा अपनी ई–निविदा दिनांक 28.05.2021 के अपरान्ह 1.00 बजे तक अपलोड की जायेगी तथा दिनांक 28.05.2021 को अपराह्न 3.00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभागार बलिया में समिति के समक्ष खोली जायेगी।

22– उक्त ई–टेण्डर की विस्तृत जानकारी http://etender.up.nic.in पर एवं http://ballia.nic.in पर देखी जा सकती है।

23– निविदादाता को उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य होगी तथा सभी विवादों का निस्तारण बलिया न्यायालय के अन्तर्गत होगा।

दिनांक:–

स्थान:–

निविदादाता/फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम व मुहर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

र्ष–2021 में जनपद बलिया में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत् प्रभावित परिवारो में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ई–निविदा का तकनिकी निविदा प्रपत्र ।

क्रमांक	विवरण	निविदादाता द्वारा भरा जाय
1	कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम	
2	कम्पनी / फर्म / एजेन्सी के प्रोपराइटर का नाम, पता दूरभाष संख्या सहित	
3	कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का पजीकरण विवरण	
4	अर्नेस्ट मनि की धनराशि का विवरण रू0 20,000 / – बैंक का नाम, ड्राफ्ट संख्या, दिनांक जिलाधिकारी, बलिया के नाम से देय होगा ।	
5	ई–निविदा शुल्क रूपये 5,000 / –+18%(GST) कुल रू0 5,900 / –(रूपये पाच हजार नौ सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, बलिया के नाम से देय होगा ।	
6	कम्पनी / फर्म / एजेन्सी के सरकारी विभागों से काली सूची में दर्ज न होने तथा कोई आपराधिक वाद उसके / उसके किसी पक्षकार / भागीदार के विरूद्ध प्रचलित न होने संबधी शपथ पत्र	
7	आपदा राहत में खाद्यान्न आपूर्ति का अनुभव विगत वर्षों का ।	
8	खाद्य सुरक्षा विभाग का फूड लाईसेन्स	
9	वाणिज्य कर विभाग (जी0एस0टी0) रजिस्ट्रेशन (साक्ष्य सहित)	
10	पेन कार्ड संख्या छाया प्रति सहित	
11	विगत वर्षो में न्यूनतम् रू0 3.50 करोड (रूपये तीन करोड पच्चास लाख मात्र), का वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण ।	

नोट–उपरोक्त अंकित विवरण से संबंधित अभिलेख कम्पनी / फर्म / एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा खुलने के समय हार्ड कापी में प्रस्तुत की जाएगी, तथा ई–टेण्डर पर संबंधित अभिलेख की प्रतियों की छायाप्रति अपलोड किया जाएगा।

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ, कि मैने जिलाधिकारी कार्यालय बलिया द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के निविदा फार्म में निर्धारित शर्तो का भलि–भांति अध्ययन कर लिया है और उक्त में उल्लिखित नियम शर्तो को पूर्ण रूपेण पालन करने के लिये कटिबद्ध हूँ, यदि कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाता है तथा निविदा शर्तो के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो मेरी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है, जो मुझे पूर्णतया मान्य होगा ।

संलग्नक

स्थान–
तिथि–

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH KUMAR YADAV
Date: 2021.05.20 14:18:37 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 65 /जि0पू0अ0/आपदा/2021-22, दिनांक– 10 मई, 2021

ई–टेण्डर आमंत्रण हेतु सूचना

जनपद सिद्धार्थनगर में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्मो से निम्नवर्णित आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति अंकित मात्रा के अनुसार प्रति पैकेट के आधार पर किये जाने हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है–

क्रमांक	वस्तु का नाम	दर	क्र0	वस्तु का नाम	दर
1.	आटा प्रति कि0ग्रा0		15.	गुड़ प्रति कि0ग्रा0	
2.	चावल कामन प्रति कि0ग्रा0		16.	त्रिपाल (15x10 Squar Feet) प्लास्टिक	
3.	अरहर दाल प्रति कि0ग्रा0		17.	टार्च प्लास्टिक एवेरडी/जीप ब्राण्ड 2 सेल वाला	
4.	नमक 500 ग्राम		18.	छोटा लाइफ बॉय साबुन	
5.	माचिस प्रति पैकेट		19.	जेरीकेन 05 लीटर प्लास्टिक	
6.	मोमबत्ती बड़ी प्रति पैकेट		20.	काली पन्नी	
7.	लाई प्रति कि0ग्रा0		21.	दूध पाउडर 500 ग्राम	
8.	भुना चना प्रति कि0ग्रा0		22.	रस्सी नायलॉन 1 सें0मी0 घेरा प्रति कि0ग्रा0	
9.	आलू प्रति कि0ग्रा0		23.	ब्राण्डेड पानी पाउच 200 एम0एल0	
10.	मिर्च पिसा प्रति प्रेकेट 250 ग्राम		24.	प्लास्टिक बाल्टी 15 लीटर की	
11.	धनिया पिसा प्रति पैकेट 250 ग्राम		25.	प्लास्टिक मग 500 ग्राम वाला	
12.	हल्दी पिसा प्रति पैकेट 250 ग्रा0				
13.	बिस्कुट प्रति पैकेट				
14.	रिफाइण्ड तेल ब्राण्डेड प्रति लीटर				

उक्त दर के आधार पर शासन द्वारा निम्नवत निर्धारित मदों के अनुसार सामग्रियों की पैकिंग तैयार कर सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की संख्या घटायी व बढ़ायी जा सकती है। निविदा दाताओं का तुलनात्मक चार्ट निम्न सारणी के आधार पर तैयार किया जायेगा :–

क्रमांक	शासन द्वारा निर्धारित वस्तु	मात्रा
1–	आटा	10 कि0ग्रा
2–	चावल	10 कि0ग्रा
3–	अरहर दाल	02 कि0ग्रा
4–	नमक	500 ग्राम
5–	माचिस	01 पैकेट
6–	मोमबत्ती	01 पैकेट
7–	लाई	05 कि0ग्रा
8–	भुना चना	02 कि0ग्रा
9–	आलू	10 कि0ग्रा
10–	मिर्च	250 ग्राम
11–	धनिया	250 ग्राम
12–	हल्दी	250 ग्राम
13–	बिस्कुट	10 पैकेट
14–	रिफाइण्ड तेल	01 लीटर

निविदा की शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. निविदा हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से जिला दैवी आपदा कार्यालय सिद्धार्थनगर से निर्धारित शुल्क रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र) निर्धारित प्रकाशन की तिथि से 24.05.2021 सायं 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे या आनलाइन अपलोड किये जा सकेगें।
2. निविदादाता/फर्म, वाणिज्य कर विभाग (जी0एस0टी0) में पंजीकृत होना चाहिए। टेण्डर के साथ पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।
3. निविदादाता का फूड लाइसेंस, पैन नम्बर, लेबर रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति तथा गत दो वर्षो में 4 करोड़ का सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव। इस आशय का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
4. गत 03 वर्षो में आपदा विभाग में कम से कम 3.5 करोड़ की राहत सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव।
5. अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

Scanned with CamScanner

आवश्यकता पड़ने पर राहत सामग्री पैकेट के आवश्यक वस्तुओं में परिवर्तन (घटाया/बढ़ाया) किया जा सकता है।

निविदा की दरों में सामग्री का मूल्य, हैंडलिंग, राहत वितरण केन्द्र/बाढ़ शरणालय तक परिवहन आदि सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर का निर्णय अन्तिम होगा।

9. टेण्डर के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पुल भी देना होगा तथा कार्टून बाक्स में उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं उसी गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

10. पैकिंग किट आपदा विभाग में अवलोकन के लिए उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए विभाग से सम्पर्क करें।

11. टेण्डर में उल्लिखित समस्त सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा टेण्डर दाता को बाढ़ अवधि तक प्रत्येक समय अपने स्टाक में आरक्षित करना होगा, ताकि आकस्मिक आवश्यकता की स्थिति में तात्कालिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आवश्यकता का निर्धारण जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा किया जायेगा तथा आपूर्ति प्रत्येक दशा में 06 (छः) घण्टे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।

12. जिलाधिकारी/समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी समय ई-निविदा को निरस्त कर दें तथा निविदा खोलते समय किसी अभिलेख की जॉच सम्बन्धी एवं अन्य शर्त सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित होगा।

13 सर्वप्रथम ई-टेण्डर का टेक्निकल बीड खोला जाएगा। टेक्निकल बीड में अर्ह पाये जाने वाले फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगा, तथा न्यूनतम वित्तीय निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जाएगी।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म ई-निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से कार्यदिवस के अन्दर ई-टेण्डर पोर्टल http:etender.up.nic.in पर निविदादाता द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जाएगी। निविदा दिनांक-24.05.2021 को सायं 02.00 बजे खोली जाएगी। निविदादाता को अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) का बैंकड्राफ्ट, जो जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पद नाम से होगा, निविदा के साथ छाया प्रति अपलोड करना होगा, तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्तिम रूप से स्वीकार निविदा दाता को कुल अनुमानित धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पक्ष में बन्धक कराकर प्रस्तुत करना होगा। उक्त निविदा को निरस्त करने, संशोधन करने अथवा स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री को सम्मिलित करने का अधिकार जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर में निहित होगा।

(सीताराम गुप्त)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 65 /तददिनांकित। (प्रकाशनार्थ)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर को सादर अवलोकनार्थ।
2- जिला पूर्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
3- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5- जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश से कि अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
6- समाचार प्रतिनिधि समाचार पत्र "दैनिक जागरण, अमर उजाला" को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन स्थानीय अंक मे कराकर आपदा अनुभाग मे बिल भुगतान हेतु आपदा कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner

एन.सी.सी.एफ.
कानपुर
N.C.C.F.
KANPUR

एनसीसीएफ / का0 / व्यवसाय / 2021–22 / 304

17.06.2021
ईमेल द्वारा

महा प्रबन्धक (व्यवसाय),
एनसीसीएफ,
मुख्यालय,
नई दिल्ली।

जिलाधिकारी, बलिया एवं सिद्धार्थनगर ने अपने ई–टेण्डर आमंत्रण पत्रांक 68 / आपदा (बाढ़ राहत सामग्री–2021) दिनांक 15.05.2021 से एवं 65 / जि0पू0अ0 / आपदा / 2021–22 दिनांक 10.05.2021 ई–टेण्डर आमंत्रण हेतु सूचना प्रकाशित की हैं, जिसमें वर्ष 2021 की सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत बाढ़ से प्रभावित परिवारों में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड इकाइयों / संस्थाओं को आंमत्रित किया गया हैं, जिसमें शाखा ने प्रतिभाग लिया गया था। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त निविदा में संस्था का दर न्यूनतम् श्रेणी प्राप्त होने पर संस्था ने बिड अवार्ड किया हैं। इस सम्बन्ध में अपदा राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु एनसीसीएफ की बेवसाइड में अपलोड कराने का कष्ट करें, जिससे जो आपूर्तिकर्ता सम्बन्धित कार्य करने हेतु इच्छुक हो तो वह एनसीसीएफ शाखाओं में अपना प्रस्ताव भेज सके हैं। (राहत आपदा सामग्री सूची संलग्नक हैं)

(अनुराग शर्मा)
शाखा प्रबन्धक

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

Scanned with CamScanner

एन.सी.सी.एफ.
कानपुर
N.C.C.F.
KANPUR

एनसीसीएफ / का / व्य–निविदा / 2021–22 / 303 17.06.2021

<u>अल्पकालीन प्रस्ताव हेतु</u>

जनपद बलिया एवं सिद्धार्थनगर में वर्ष 2021 की सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत बाढ़ से प्रभावित परिवारों में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु एनसीसीएफ शाखाओं के पंजीकृत आपूर्तिकताओं के लिए प्रस्ताव आंमत्रित किया जाता हैं। (आपदा राहत सामग्री सूची संलग्न हैं)

सम्बन्धित कार्य हेतु एनसीसीएफ शाखाओं में पंजीकृत फर्म उक्त कार्य करने हेतु इच्छुक हो तो दिनांक 25.06.2021 तक एनसीसीएफ, कानपुर शाखा को अपना प्रस्ताव प्रेषित करें।

(अनुराग शर्मा)
शाखा प्रबन्धक

प्रतिलिपि–एनसीसीएफ बेवसाइट एवं नोटिस बोर्ड

Scanned with CamScanner